(3)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 162 / प्र0अ0–भवन / जोन–1 / 2011–12 दिनांक 04 / 04 / 2012

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर **व्यवसायिक (एजेन्सी) भवन मानचित्र** स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री प्रकाश आजाद पुत्र स्व0 रामचन्द्र स्थल परिवहन नगर योजना के अर्न्तगत भूखण्ड संख्या–688 एजेन्सी परिवहन नगर इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अर्न्तगत दाखिल **व्यवसायिक (एजेन्सी)** भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानो के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या–2.1.5 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
3. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
5. स्थल पर 04 वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षो को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
6. स्थल पर वान्छित आन्तरिक विकास कार्य स्वतः पूर्ण करना होगा।
7. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराना होगा, भू–गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् ही क्षमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त की जायेगी।
8. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार करना होगा।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अर्न्तगत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भूखण्डो का उप–विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ0वि0प्रा0 द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओ के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।
11. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके अगवार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
12. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
13. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
14. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अर्न्तगत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

4/4/2012

(सीमा सिंह)
संयुक्त सचिव/प्र0अ0–भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

Recived copy of map
4/4/2012

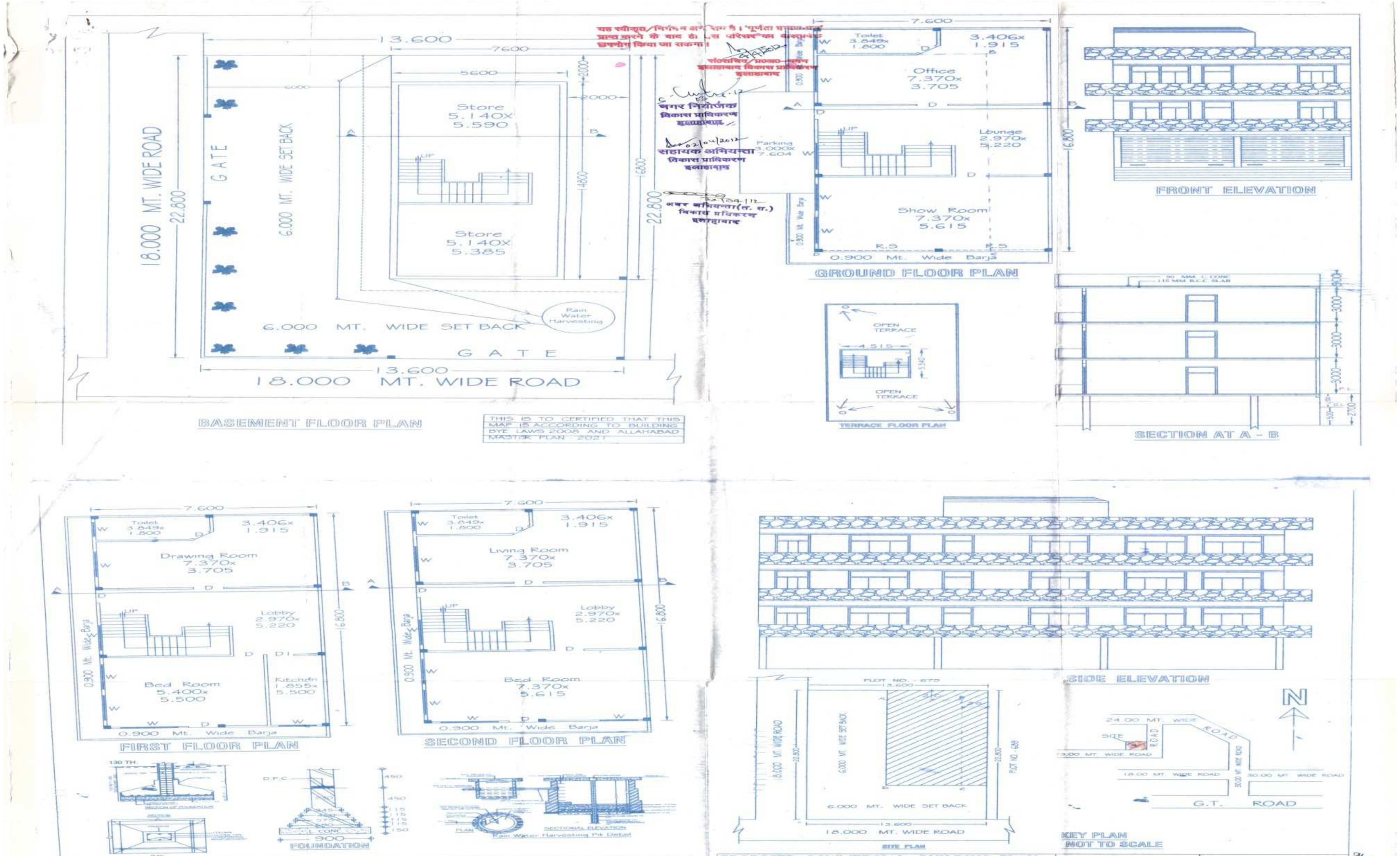

TOTAL AREA OF PLOT	310.08 SQ. MT.
PROPOSED AREA ON BASEMENT	82.88 " "
PROPOSED AREA ON G. F.	150.49 " "
PROPOSED AREA ON F.F.	127.68 " "
PROPOSED AREA ON S.F.	127.68 " "
OPEN AREA ON G. F.	159.59 " "
MUMTY AREA	24.61 " "
GROUND COVERAGE	48.53 %
F. A. R.	1.30

SCHEDULE OF DOOR WINDOW & VENT.			
1	DOOR	D	1000X2400
2	DOOR	D1	900X2400
3	DOOR	D2	750X2400
4	WINDOW	W	1500X2000
5	WINDOW	W1	900X2000
6	VENT.	V	750X600

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN
OF PLOT NO. - 688 TRANSPORT NAGAR
YOJNA A. D. A. ALLAHABAD
OWNER - SRI. - PRAKASH AZAD
S / O - LATE RAM CHANDRA
SCALE - 1:100

RAMBACHAN RAM
ARCHITECT
Bachelor of Architecture,
Member of Council of Architecture,
(C. A. Regd. No.-CA/2005/35958)